JPD-6/355

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, ज्योति नगर जयपुर

पत्र कमांक/मु.ले./प्रत्रा 506/प्र. 1817 दिनांक 27/7/12

आदेश

निगम स्तर की समझौता समिति के समक्ष प्राप्त प्रकरणों से जानकारी में आया है कि उपभोक्ता का मीटर कई महिनों/वर्षो तक बन्द एवं त्रुटिपूर्ण रहने के बावजूद उसे औसत उपभोग की बजाय शून्य उपभोग का विद्युत विपत्र भेजा जा रहा हैं। इस प्रकार की स्थिति अत्यन्त ही गंभीर है कि सम्बन्धित किसी भी अधिकारी/कर्मचारी एवं बिलिंग ऐजेन्सी ने लंबे समय तक यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि उपभोक्ता विद्युत का उपभोग कर रहा है या नही। इस तरह की जानकारी के लिए बिलिंग ऐजेन्सी द्वारा शून्य उपभोग (Zero Consumption) का आउटपुट दिया जाता है। यदि इस आउटपुट के आधार पर ऐसे उपभोक्ताओं की जांच समय–समय पर कर ली जाती तो निगम को समय पर प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित नहीं होना पड़ता एवं दूसरी तरफ उपभोक्ता को भी एक साथ बढी हुई राशि के बिल जमा करवाने के कारण होने वाली अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

अतः संबंधित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक राजस्व अधिकारी, लेजर कीपर एवं अन्य की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि आउटपुट रिपोर्ट के आधार पर ऐसे उपभोक्ताओ की प्रतिमाह जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करें। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि ऐसे मीटर्स जो काफी समय से दोषपूर्ण या बन्द चल रहे हैं एवं जिनका पूर्व उपभोग प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रहा है उनको तुरन्त बदला जाए। इस संबंध में निम्न निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं :–

1. शून्य उपभोग वाले उपभोक्ताओं के परिसर एवं मीटरो का निरीक्षण "परिशिष्ठ – अ" में दर्शाये अधिकारियों द्वारा हर माह नियमित रूप से किया जायेगा एवं तद्सम्बन्धी रिर्पोट भी अपने नियन्त्रण अधिकारी को लिखित रूप में प्रेषित की जायेगी।
2. सभी सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओ द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पिछले माह में शून्य उपभोग वाले उपभोक्ताओं/मीटरों के निरीक्षण के प्रगति कि सूचना "परिशिष्ठ – ब" में दर्शित प्रारूप में अपने अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित की जायेगी।
3. सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अपने अधीनस्थ वृत की सूचना (उपरोक्त क्र. सं.–2) संकलित कर, समेकित सूचना प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निगम मुख्यालय को प्रेषित कि जायेगी ।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे एवं सभी सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता अपने अधीनस्थ उपखण्डो में इस आदेश की पूर्ण रूप से पालना करवाने एवं तद्नुसार बिलिंग हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(कुंजी लाल मीणा)
अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक

"परिशिष्ट - ञ"

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

STATEMENT SHOWING METERS HAVING ZERO CONSUMPTION CHECKED DURING THE MONTH OF ---------------------------

Checked by AEN:-

Sr. No.	Category	NO. of Consumers Intimated		No. of Consumer Checked		Meters Found Stop		Meters Found OK		% ot Meters checked
		Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	
1	Industrial Power(M)									
2	Industrial Power(L)									
3	Public Water Works(M)									
4	Public Water Works(L)									
5	Traction Railway									
6	Other consumers having supply on HT									
Consumers having supply on LT and Checked by JENs & other technical subordinates:-										
1	Domestic									
2	Non - Domestic									
3	Public Street Lighting									
4	Agriculture - Metered									
5	Nursery									
6	Poultry									
7	Industrial Power(S)									
8	Public Water Works(S)									
9	Bulk Supply to Mixed Load									
	TOTAL									

"परिशिष्ट - अ"

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

RESPONSIBILITY CENTERS OF METERS TO BE CHECKED FOR ZERO CONSUMPTION

Sr. No.	Category	Officer resposible for checking	Officer to whome reported	Controlling Officer
1	Industrial Power(M)	Assistant Engineer	Executive Engineer	Executive Engineer
2	Industrial Power(L)			
3	Public Water Works(M)			
4	Public Water Works(L)			
5	Traction Railway			
6	Other consumers having supply on HT			

Consumers having supply on LT

SL	Category	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW	Up To SCL 10 KW	Above SCL 10 KW
1	Domestic	Other technical subordinate	Junior Engineer	Junior Engineer	Assitant Engineer	Assitant Engineer	Assitant Engineer
2	Non - Domestic						
3	Public Street Lighting						
4	Agriculture - Metered						
5	Nursery						
6	Poultry						
7	Industrial Power(S)						
8	Public Water Works(S)						
9	Bulk Supply to Mixed Load						